

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 37

बजट मद

2401-फसल कृषि कर्म

197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता


(05)-जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय

(01)-संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

(राशि रूपयों में)

S.No	IFMS Code	Name of Office	03 TA	Med. 04
1	15182	ASSTT.DAG (EXT.) PRATAPGARH		106000
2	3292	ASSTT.DAG (EXT.) DUNGERPUR	200000	94000
Total			200000	200000

- व्यय करते समय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
- उक्त कार्यालयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय की सूची को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के बकाया बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 के बकाया दायित्वों का भुगतान होने के पश्चात ही वर्ष 2017-18 में प्राप्त बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।
- गंभीर रूप से पीडित कार्मिक/परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय बिलों का प्राथमिकता के आधार पर पुर्नभरण की जाने वाली राशि की गणना कर भुगतान करावे।
- उक्त आवंटित बजट का उपयोग दिनांक 20.07.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावे।



(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/ 2651-54

दिनांक : 21/6/2017

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), प्रतापगढ़/डूंगरपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
- ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावे।


(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 37

बजट मद -

2401-फसल कृषि कर्म
00-

109-विस्तार एवं किसानों को प्रशिक्षण

(01)-कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना

(06)-प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

(राशि रूपयों में)

S.No.	IFMS Code	Name of Office	Med. 04	Liveries 37
1	7342	Dy. Dir. Agri. (Agro) A.T.C., Chittorgarh	42246	0
2	9600	Dy. Dir. Agri. (Agro) A.T.C., TABIJI FARM, Ajmer	0	600
Total			42246	600

- व्यय करते समय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
- उक्त कार्यालयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय की सूची को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के बकाया बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 के बकाया दायित्वों का भुगतान होने के पश्चात ही वर्ष 2017-18 में प्राप्त बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।
- गंभीर रूप से पीड़ित कार्मिक/परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय बिलों का प्राथमिकता के आधार पर पुर्नभरण की जाने वाली राशि की गणना कर भुगतान करावें।
- उक्त आवंटित बजट का उपयोग दिनांक 20.07.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावें।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/ 2546-50 दिनांक : 15/06/17

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- उप निदेशक, कृषि ए0टी0सी0, चित्तौडगढ़/तबीजी फार्म, अजमेर।
- सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
- ✓ ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 37

2401-फसल कृषि कर्म

00-

(107)-वनस्पति रक्षण

(08)-नॉन इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बिमारियों का उन्मूलन

(01)-संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

(राशि रूपयों में)

S.No.	IFMS Code	Name of Office	TA 03	Med. 04	Elect/ Water 19
1	32825	Dy. D. Ag. (Chem) SPTL Sriganganagar	2000	0	0
2	22280	Dy. Dir. Agri. (Q.C.) Fertilizer Testing Lab., Jodhpur	42447	0	0
3	22240	Dy. Dir. Agri. (Q.C.) Malikpur., Bharatpur	10000	37200	20000
Total			54447	37200	20000

- व्यय करते समय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
- उक्त कार्यालयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय की सूची को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के बकाया बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 के बकाया दायित्वों का भुगतान होने के पश्चात ही वर्ष 2017-18 में प्राप्त बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।
- गंभीर रूप से पीडित कार्मिक/परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय बिलों का प्राथमिकता के आधार पर पुर्नभरण की जाने वाली राशि की गणना कर भुगतान करावें।
- उक्त आवंटित बजट का उपयोग दिनांक 20.07.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावें।



(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/ 2558-63 दिनांक : 15/06/17

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- उप निदेशक, कृषि (रसायन)/(गुण नियंत्रण),श्रीगंगानगर/जोधपुर/मलिकपुर (भरतपुर)।
- सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
- ✓ ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।



(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालयों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

मांग संख्या - 37

बजट मद

2401-फसल कृषि कर्म

109-विस्तार एवं किसानों को प्रशिक्षण

(01)-कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना

(08)-प्रशिक्षण व्यय-प्रतिबद्ध

(राशि रूपयों में)

S.No.	IFMS Code	Name of Office	TA 03	Med. 04
1	6569	Director, Agri. (SIAM), Durgapura	2634	28635
2	17249	DY.DAG AGR. Training Centre, Tonk	7000	24000
3	15023	DY.DAG AGR. (FOOD PROCESS), KOTA		29293
Total			9634	81928

- व्यय करते समय सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
- उक्त कार्यालयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय की सूची को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के बकाया बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 के बकाया दायित्वों का भुगतान होने के पश्चात ही वर्ष 2017-18 में प्राप्त बिलों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।
- गंभीर रूप से पीडित कार्मिक/परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्यय बिलों का प्राथमिकता के आधार पर पुर्नभरण की जाने वाली राशि की गणना कर भुगतान करावें।
- उक्त आवंटित बजट का उपयोग दिनांक 20.07.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करावें।

80

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

क्रमांक : प.3()आ.कृ/लेखा/बजट (NP)/2017-18/ 2566-71 दिनांक : 15/06/17

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, कृषि (श्याम), दुर्गापुरा, जयपुर।
- उप निदेशक, कृषि ट्रेनिंग सेन्टर/फुड प्रोसेस, टोंक/कोटा।
- सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।
- ACP को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

1503
(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, कृषि

